है। पुरुष प्रायः लुंगी या धोती पहनते हैं, जबकि महिलाएँ लंबी स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं। आधुनिकता के प्रभाव से अब कुछ लोग पश्चिमी परिधान भी पहनने लगे हैं, लेकिन पारंपरिक परिधान आज भी उत्सवों व अनुष्ठानों में पहने जाते हैं। निकोबारी समाज में **मुखिया प्रणाली** प्रचलित है। गाँव के मुखिया को **"Captain"** कहा जाता है और यह प्रशासनिक एवं सामाजिक मामलों का नेतृत्व करता है। उनके सामाजिक जीवन में **विवाह, जन्म, मृत्यु और त्यौहार** सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। निकोबारी जनजातियों की धार्मिक आस्थाएँ प्राचीन प्रकृतिपूजक विश्वासों पर आधारित रही हैं। हालांकि वर्तमान में ईसाई धर्म (मुख्यतः कैथोलिक) का प्रभाव बहुत व्यापक है। ये लोग मुख्यतः आत्मा और पुनर्जन्म, समुद्र, जंगल, सूर्य और चंद्रमा की पूजा, **टोना-टोटका और भूत-प्रेत** की अवधारणा पर यकीन रखते हैंI 20वीं शताब्दी में मिशनरियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ और आज अधिकांश निकोबारी जनजाति ईसाई धर्म मानती है। चर्च इनकी सामाजिक संरचना का एक हिस्सा बन चुका है। इनका सबसे प्रमुख त्यौहार **"पिग फेस्ट"** (सूअर उत्सव) है। यह एक पारंपरिक त्यौहार है जिसमें समुदाय के लोग मिलकर सूअर का पालन करते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। यह उत्सव समूह की एकता और सहयोग का प्रतीक है। अन्य उत्सवों में ईसाई धर्म के त्यौहार जैसे क्रिसमस और ईस्टर भी पूरे उल्लास से मनाए जाते हैं। निकोबारी जनजाति के लोग बांस और लकड़ी से वस्तुएँ बनाते हैं। उनके हस्तशिल्प में नाव बनाना, टोकरी बुनाई और हथियार निर्माण की कला देखने को मिलती है। महिलाएँ पारंपरिक बुनाई में पारंगत होती हैं और चटाइयाँ, टोकरियाँ और झोले बनाती हैं। हाल के वर्षों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से निकोबारी समाज में परिवर्तन आया है। अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाएँ विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। हालांकि, 2004 की सुनामी के बाद इस जनजाति को भारी नुकसान झेलना पड़ा था, जिससे इनकी सामाजिक और आर्थिक संरचना प्रभावित हुई। सरकार द्वारा पुनर्वास कार्यक्रमों से सुधार आया है। निकोबारी लोग निकोबारी भाषा बोलते हैं, जो ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। इसमें कई स्थानीय उपभाषाएँ हैं। भारत सरकार द्वारा निकोबारी जनजातियों के लिए विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं जैसे- जनजातीय विकास परियोजनाएँ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण हेतु शोध एवं प्रलेखन कार्यक्रम।

अंडमान की जनजातियाँ मानव जाति की आदिम जीवनशैली और संस्कृति की जीवित मिसाल हैं। इनका अस्तित्व हमें यह याद दिलाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर भी जीवन जिया जा सकता है। इन जनजातियों का संरक्षण केवल मानवविज्ञान की दृष्टि से नहीं, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व भी है। हमें इनके जीवन में हस्तक्षेप के बजाय, इनके अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए संरक्षण करना चाहिए।

****

नोट:- यह आलेख साक्षात्कार और अंतरजाल से मिली जानकारी पर आधारित है।

सामाजिक-आर्थिक विकास पर इंदिरा आवास योजना की भूमिका का अध्ययन

मुकेश वर्मा[1]
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग
एम०बी० जी० पी०जी० कालेज
हल्द्वानी,नैनीताल, उत्तराखण्ड।

डॉ० रीनू रानी मिश्रा[2]
प्रोफेसर अर्थशास्त्र विभाग
एम०बी० जी० पी०जी० कालेजहल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

सारांश-

वर्तमान समय में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें चलायी जा रहीं है। प्रस्तुत शोध पत्र ''सामाजिक-आर्थिक स्थिति विकास पर इंदिरा आवास योजना की भूमिका का अध्ययन'' को समस्या के रूप मे लिया गया है, जिसके लिये वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया एवं शोध न्यादर्श के रूप मे 100 लाभार्थियों को न्यादर्श के रूप मे चयनित किया गया। शोध कार्य से सम्बंधित आकडों के संकलन के लिये स्वःनिर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। निष्कर्ष रूप मे पाया गया कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति विकास पर इंदिरा आवास योजना के माध्यम से आवास प्राप्त होने के पश्चात् उनकी सामाजिक-आर्थिक विकास मे काफी सुधार हुआ है।

प्रमुख शब्दः- इंदिरा आवास योजना, सामाजिक-आर्थिक विकास।

प्रस्तावना

प्रकृति के प्रांगण में आवास या घर मनुष्य की महत्वपूर्ण अहम् आवश्यकताओं में से एक है। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि "आवास के बिना मनुष्य का भावनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्ण विकास नहीं हो सकता है।" इस प्रकार आवास, मानव के विकास और स्थायित्व का अभिन्न अंग है। मानव के लिए आवास या घर एक बुनियादी आवश्यकता है। एक सामान्य नागरिक, जिसके पास अपना आवास या घर है अर्थात उसके पास सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सुरक्षा तथा सम्मानजनक दर्जा प्राप्त होता है। बिना आवास या घर के आदमी के लिए एक मकान उसके अस्तित्व में आमूल-चूक परिवर्तन लाता है, उसे एक पहचान दिलाता है, जिससे वह अपने आस-पास के सामाजिक परिवेश के साथ जुड़ जाता है।

समाज में रहने वाले अनेक न्यूनतम-आय-वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के सन्दर्भ में आर्थिक विकास का अर्थ है उनके विकास क्रम को आत्म-पोषित बनाना, भूख और निर्धनता से छुटकारा दिलाना तथा रहने के लिए एक आवास या घर उपलब्ध कराना। परिवार के सिर पर एक छत का होना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। आवास न सिर्फ रहने के लिए बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से मनुष्य के सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य के अन्तर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को एक-दूसरे के पूरक रूप में देखा जाता है। निजी क्षेत्र में संगठित उद्योग, लघु उद्योग, कृषि, व्यापार और गृह निर्माण तथा संबद्ध क्षेत्र शामिल हैं। विकास के राष्ट्रीय प्रयास में व्यक्तिगत कोशिश और निजी पहल को आवश्यक और वांछित माना जाता है और इसके साथ ही साथ अधिकतम स्वैच्छिक सहयोग को भी अनिवार्य समझा जाता है। देश के प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी दोहन, उत्पादन, वृद्धि और समाज के हित में सभी के लिए

रोजगार के अवसर पैदा करके लोगों के जीवन स्तर में तेजी से सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य के अनुसरण करने के निमित्त मार्च, 1950 के एक संकल्प के जरिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग देश के उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तय करने के लिए योजनाएँ बनाने का दायित्व सौंपा गया था।

अध्ययन के उद्देश्य-

- इंदिरा आवास योजना समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करना।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ-

- इंदिरा आवास योजना समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती है।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास पर समान प्रभाव पडा।

शोध विधि-

किसी भी शोध कार्य को करने के लिये किसी न किसी शोध विधि का प्रयोग किया जाता है। बिना शोध विधि का प्रयोग किये किसी भी शोध अध्ययन को पूर्ण नही किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्ययन हेतु शोध विधि के रूप में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का न्यादर्श-

लोकतांत्रिक व्यवस्था में गांव सबसे छोटी इकाई है। इस इकाई के माध्यम से ही ग्राम स्तर की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। ग्राम पंचायतों की उपादेयता इसलिये भी है कि इसका ग्रामीणों के साथ सीधा सम्बन्ध होता है तथा रोजगार उपलब्ध कराने में यह इकाई लाभार्थियों का चयन कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ती है। प्रस्तुत शोधपत्र मे ऊधम सिह नगर जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के 100 लाभार्थियों का चयन न्यादर्श के रूप में दैव निर्देशन ¼Random Sampling½ विधि द्वारा किया गया है।

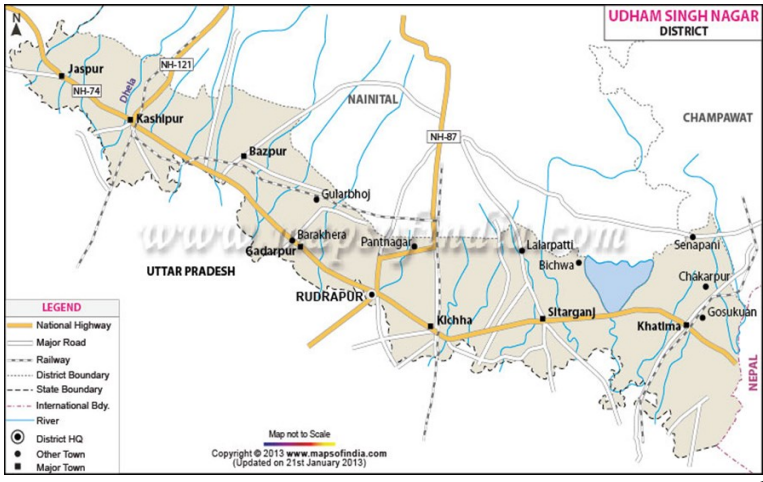

तालिका संख्या-1

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण

आवास आंवटन का वर्ष	चयनित लाभार्थी				कुल योग
	महिला	महिलाओं का प्रतिशत	पुरूष	पुरूषों का प्रतिशत	
2021-22	20	71.43	8	28.57	28
2022-23	27	79.41	7	20.59	34
2023-24	24	63.16	14	36.84	38
कुल योग	**71**	**71.00**	**29**	**29.00**	**100**

उपरोक्त तालिका 1 में प्राप्त आकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि शोध अध्ययन क्षेत्र ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के कुल चयनित 100 लाभार्थियों में से कुल 28 चयनित लाभार्थियों के आवास वर्ष 2021-22 में निर्मित किये गये है, जिसमें से 20 अर्थात 71.43 प्रतिशत आवासों का आवंटन परिवार की महिला मुखिया के नाम है तथा 7 अर्थात 20.59 प्रतिशत आवास परिवार के पुरूष के नाम आवंटित किये गये है। वर्ष 2022-23 में कुल 37 लाभार्थियों के आवास इस आवास योजना के अन्तर्गत निर्मित किये गये हैं, जिनमें 27 अर्थात 79.41 प्रतिशत आवासों की मुखिया महिला सदस्य है तथा शेष 7 अर्थात 20.59 प्रतिशत आवास के मुखिया पुरूष सदस्य है। वर्ष 2023-24 में कुल 38 लाभार्थियों को चयनित करके आवासों के निर्माण का कार्य किया गया, जिनमें 24 अर्थात 63.16 प्रतिशत आवास महिला सदस्यों के नाम है तथा 14 अर्थात 36.84 प्रतिशत आवास पुरूष सदस्यों के नाम पर आवंटित किये गये है। इस प्रकार वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत इंदिरा आवास योजना के द्वारा चयनित विकासखण्डों में महिलाओं की स्थिति को मजबूत बनाने के लिये मे इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं के नाम आवास आवंटित होने के पश्चात् उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मे बहुत बडा परिवर्तन हुआ है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि शून्य परिकल्पना (Null Hypothesis) Ho- ‘‘इंदिरा आवास योजना समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत आधार प्रदान करती है।‘‘ सत्य सिद्ध होती है और वैकल्पिक परिकल्पना (Alternative Hypothesis) Ha- ‘‘इंदिरा आवास योजना समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत आधार नही प्रदान करती है।‘‘ असत्य सिद्ध होती है।

तालिका-2

इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जातिवार आंवटित किये गये आवासों का विश्लेषण

चयनित लाभार्थियों की जाति	चयनित लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
सामान्य	12	12.00	12.00
अनुसूचित जाति	41	41.00	53.00
अनुसूचित जन जाति	17	17.00	70.00
अन्य पिछडी वर्ग	21	21.00	91.00
अल्प संख्यक वर्ग	9	9.00	100.00
कुल चयनित लाभार्थियों की संख्या	100	100.00	

उपरोक्त तालिका संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि शोध अध्ययन क्षेत्र ऊधम सिंह नगर जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के कुल चयनित 100 लाभार्थियों में से कुल 12 अर्थात 12.00 प्रतिशत आवास सामान्य जाति वर्ग के, 41 अर्थात 41.00 प्रतिशत आवास अनुसूचित जाति वर्ग के, 17 अर्थात 17.00 प्रतिशत आवास अनुसूचित जन जाति वर्ग के, 21 अर्थात 21.00 प्रतिशत आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के तथा 9 अर्थात 9.00 प्रतिशत आवास अल्प संख्यक वर्ग के लाभार्थियों के लिये निर्मित किये गये। इस प्रकार पाया गया कि इंदिरा आवास योजना में सबसे अधिक आवास अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिये बनाये गये है। इस प्रकार यहाँ हमारी शून्य परिकल्पना की मान्यता गलत सिद्ध होती है अर्थात हम अपनी वैकल्पिक परिकल्पना के साथ जायेगें जो सत्य सिद्ध होती है कि इंदिरा आवास योजना में सभी वर्गों को समान रूप से आवास आंवटित नहीं किये गये है, क्योंकि इस योजना में सबसे अधिक आवास अनुसूचित वर्ग के लोगों को आवंटित किये गये है, इसके साथ ही इंदिरा आवास योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यह योजना समाज में पिछडे तथा निर्धन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिये चलायी गयी है तथा यहां यह योजना की सफलता को प्रदर्शित करता है। इंदिरा आवास योजना के माध्यम से समाज में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को सबसे अधिक प्राथमिकता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर ज्ञात हुआ कि इंदिरा आवास योजना में सबसे अधिक आवास अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के लिये आवंटित किये गये है तथा अन्य जाति वर्गों के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों की अपेक्षा कम संख्या मे आवासों का आवंटन किया गया है। इस प्रकार यहाँ शून्य परिकल्पना **(Null Hypothesis) Ho ''इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों को समान रूप से आवास आंवटित किये गये** है।" **गलत सिद्ध होती है और वैकल्पिक परिकल्पना (Alternative Hypothesis) Ha- ''इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत सभी वर्गों को समान रूप से आवास आंवटित नही किये गये है।''** सत्य सिद्ध होती है कि इंदिरा आवास योजना में सभी वर्गो को समान रूप से आवास आंवटित नहीं किये गये है, क्योंकि इस योजना में सबसे अधिक आवास अनुसूचित वर्ग के लोगों को आवंटित किये गये है तथा इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह योजना समाज पिछड़े तथा गरीब व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाने के लिये चलाई गयी जा रही है। इंदिरा आवास योजना के द्वारा समाज में अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है जिससे उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं उनके रहन-सहन मे भी परिवर्तन मे भी काफी सुधार देखा गया है, जो कि इंदिरा आवास योजना की सफलता को दर्शाती है।

शोध अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष— प्रस्तुत शोध अध्ययन मे शोधार्थी के द्वारा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के सर्वेक्षण के लिये ऊधमसिंह नगर जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के कुल 100 लाभार्थियों का चुनाव यादृच्छिक न्यादर्शन विधि के द्वारा किया गया। इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों के किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष निम्नलिखित है-

शोध अध्ययन हेतु चयनित ऊधमसिंह नगर जनपद के गदरपुर में वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2023-24 के दौरान सबसे अधिक आवासों का निर्माण वर्ष 2022-23 में किया गया है। कुल चयनित 100 लाभार्थियों में से कुल 27 लाभार्थियों के आवास वर्ष 2022-23 में बनाये गये है, अर्थात् कहाँ जा सकता है कि समय के साथ-साथ लोगों में इंदिरा आवास योजना के प्रति जागरूकता भी लगातार बढ़ती जा रहीं है। कुल चयनित 100 लाभार्थियों के निर्मित आवासों में से 41 आवास अनुसूचित जाति के लोगों के है अर्थात् इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सबसे अधिक लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार द्वारा भी इस इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक आवास आंवटित किये जा रहें है। प्रत्येक वर्ष होने वाली जनसंख्या वृद्धि से आवासों की होने वाली कमी को इंदिरा आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

ऊधम सिंह जनपद के गदरपुर विकासखण्ड के कुल चयनित 100 लाभार्थियों में से 71 महिला लाभार्थी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इंदिरा आवास योजना में महिला लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाती है तथा इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।

प्रायः व्यक्तियों मे केन्द्र तथा राज्य सरकार के द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी पायी जाती है, परन्तु फिर भी इंदिरा आवास योजना के बारे में व्यक्तियों मे जागरूकता को अधिक देखा गया है।

****

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. शर्मा, एस०के० (1990), ह्मेन राइट टू हाउसिंग प्रोसेस, कुरुक्षेत्र, मई-जून, पृष्ठ सं0-13।
2. विश्व स्वास्थ्य संगठन, (1998), द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, जेनेवा, पृष्ठ सं0-127।
3. भारत सरकार योजना आयोग, (1999-2000). पंचवर्षीय योजना, पृष्ठ सं0 178।
4. त्रिपाठी नन्दन केसरी एवं कुमार आलोक, 'उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन', बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, जुलाई 2013-14, पृष्ठ सं0 4-20।
5. त्रिपाठी नन्दन केसरी एवं कुमार आलोक, 'उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन', बौद्धिक प्रकाशन, इलाहाबाद, जुलाई 2013-14, पृष्ठ सं0 208।
6. अर्थ एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तराखण्ड, "सांख्यिकी पत्रिका- पत्रिका-2020-21, जनपद ऊधमसिंह नगर", पृष्ठ संख्या 92।
7. एक्सपर्टस, दिशा (2020), द मेगा ईयर बुक 2018", दिशा पब्लिकेशन्स् नई दिल्ली, पृष्ठ सं० 132।